

पत्रावली पैसा। वकील प्रार्थी व प्रार्थी को
आवाज लगाई गई। न्यायालय में बार-बार
आवाज लगाने के बावजूद भी प्रार्थी व
वकील प्रार्थी शामिल नहीं आये। अतः
प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 313(1) अन्तर्गत
अद्वय हाजरी अद्वय पैरवी में शामिल किया
जाता है। पत्रावली कैम्पल सुमाव होकर
नम्बर से काम होकर होखिल इफलर ही।

4
[Signature]